



राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/ब.आ./2022-23/ 3215-

दिनांक 14/05/2022

बजट आवंटन आदेश- 3

वर्ष 2022-23 के स्वीकृत APO के अर्न्तगत स्टेट कैम्पा योजना में ए.पी.ओ. आईटम संख्या - 33- Conservation of Bansial Khetari Conservation Reserve Jhunjhunu (as per project), 34- Conservation of Bansial Khetari -Bagour Conservation Reserve Jhunjhunu (as per project), 35- Conservation Reserve Beed Jhunjhunu (as per project), 36 Mansamata Conservation Reserve, Jhunjhunu ,37 - Shahabad Conservation Reserve, Baran ,38 - Conservation of lesser Florican Conservation Reserve, Arwar -Ajmer के अनुसार आवंटित कार्यो को पूर्ण कराने हेतु अधिनस्थ वन मण्डलों को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2406-04-103-04-01-12

2406- Forest & wildlife

04- Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(04)- Net Present Value of Forest Land

(01)- Compensatory Afforestation

12 - Grant in Aid (Other than Salary)

Amount in lacs

S.NO.	Name of Division	Proposal Detail	Phy. Targets/ Ha./ No./ RMT	Unit Rate	Amount to be allotted	
1	उप वन संरक्षक, झुंझुनू	A.P.O ITEM NO. 33- Conservation of Bansial Khetari Conservation reserve jhunjhunu as per project				
		a) Construction of 6"ft wall (RMT)	2000.000	0.03350	67.00000	
		b) Habitat improvement (committed year 1st planting year (Ha)	50.000	0.27202	13.60100	
		c) Habitat improvement (committed year 2nd-maintenance 1st year	50.000	0.11222	5.00000	
		d) Construction of water holes /Gabion structure/ anicut (LS)	3.000	0.60000	1.80000	
		कुल योग				87.40100
		A.P.O. ITEM NO.-34- Conservation of Bansial Khetari- Bagour Conservation reserve jhunjhunu as per project				
		a) Construction of 6"ft wall (RMT)	1500.000	0.03350	50.25000	
		b) Habitat improvement (committed year 1st planting year (Ha)	50.000	0.27202	13.60100	
		c) Habitat improvement (committed year 2nd-maintenance 1st year(HA.)	100.000	0.11222	11.22200	
		d) Construction of water holes /Gabion structure/ anicut (LS)	3.000	0.60000	1.80000	
		कुल योग				76.87300
		A.P.O. ITEM NO.-35- Conservation reserve beed jhunjhunu as per project				
		a) Construction of 6"ft wall (RMT)	1500.000	0.03350	50.25000	
		b) Habitat improvement (committed year 1st planting year (Ha)	50.000	0.27202	13.60100	
		c) Habitat improvement (committed year 2nd-maintenance 1st year(HA.)	100.000	0.11222	11.22200	
		d) Construction of water holes /Gabion structure/ anicut (nos)	3.000	0.60000	1.80000	
		कुल योग				76.87300
		A.P.O. ITEM NO.36-Mansamata Conservation Reserve, Jhunjhunu (Plan 2020-21 to 2029-30)				

		a) Construction of 6"ft wall (RMT)	1500.000	0.03350	50.25000
		b) Habitat improvement (committed year 1st planting year (Ha)	50.000	0.27202	13.00000
		c) Construction of water holes /Gabion structure/ anicut (nos.)	3.000	0.60000	1.80000
		कुल योग			65.05000
2	उप वन संरक्षक, बांरा	A.P.O. ITEM NO.37 - shahabad conservation reserve, baran			
		a) Construction of 6"ft wall (RMT)	2000.000	0.03350	67.00000
		b) Construction of water holes /Gabion structure/ anicut (nos.)	5.000	0.70000	3.50000
		कुल योग			70.50000
3	उप वन संरक्षक, अजमेर	A.P.O. ITEM NO. 38- Conservation of lesser Florican conservation reserve, arwar forest block 271			
		a) Construction of 2590 meters stone masonry wall - Arwar Forest Block 271 ha. (including 6' wall construction (LS) 7400 RMT. - Outstanding Wall) RMT.	2590.000	0.03350	86.76500
		b) Erection of 7.4 km, 1.2 m high barbed wire, angle iron and chain link fencing above stone masonry wall. (Nos)(in sqm.)	3200.000	0.00655	20.96000
		c) Development of grass bir by sowing grass/mung/other crops etc.(nos.)	516.000	0.01000	5.16000
		d) Planting and other silvicultural activities(ha./nos.)	450.000	0.00100	0.45000
		e) Construction of juglar (water supply for birds)(nos.)	5.000	0.50000	2.00000
		कुल योग			115.33500
		महा योग			492.03200

सामान्य शर्तें

- 1 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14()ए.पी.ओ./2022-23/कैम्पा/अप्रनुवसं/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- 2 कैम्पा मद के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य संबंधित वन मण्डल द्वारा प्रेषित ए.पी.ओ. 2022-23 के प्रपोजल में दर्शाये स्थानों अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 कैम्पा मद के अन्तर्गत आवंटित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित ग्राम सभा/VPFMC/EDC से सहमति प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 4 उप वन संरक्षकगण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अन्तर्गत आवंटित बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही करें।
- 5 आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।
- 6 आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- 7 उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
- 8 आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।
- 9 आवंटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।
- 10 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे।समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड **Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/ IFMS Accounting Rule** एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संघारित करें। लेखों की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- 11 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- 12 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- 13 बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।
- 14 कैम्पा के आवंटित बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय संपादित किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हो, जिससे योजनाओं में परस्पर Overlapping से बचा जा सके।
- 15 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के ही तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवं विभाग की प्रचलित प्रवृत्ति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।

- 16 कैम्पा मद के अर्न्तगत नये कार्यस्थलों की सूची मय GPS Coordinates के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।
- 17 वन्यजीव क्षेत्रों में कराये जाने वाले सिविल कार्य, वन्यजीव प्रबंधन योजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार हो।

Shikha

(शिखा मेहरा)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/ब.आ./2022-23/ 3216-37

दिनांक : 19/05/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 2 मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
- 3 मुख्य वन संरक्षक - अजमेर/कोटा/जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।
- 4 उप वन संरक्षक- अजमेर/बांरा/झुंझुनू।
- 5 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMP) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 6 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 7 लेखा शाखा कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।

(आकांक्षा जोशी)

उप वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।